



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2002/फाल्गुन 27, 1923

No. 50]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2002/PHALGUNA 27, 1923

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2002

सं. एन-10/5/2002-पी.पी.सी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा [2] के खण्ड [ग] के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [अधीनस्थ अभियांत्रिकी] सेवा विनियम 2001 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियोग:- ये विनियम इसके साथ संलग्न संबंधित अनुसूचि के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. प्रारंभिक संघटन:- सहायक अभियंता और वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक के रूप में नियुक्त सभी व्यक्ति तथा जो इन पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं और जिन्होंने अपनी सेवाएं निगम को स्थानान्तरित करने का विकल्प दे दिया है, इन विनियमों के लागू होने की तारीख से समतुल्य पदों, ग्रेडों और सेवा के संवर्गों में नियुक्त माने जाएंगे।

4. पद संख्या और वेतनमान -

उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान ये होंगे, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -

उपर्युक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता -

वह व्यक्ति -

- [क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
- [ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य कारण को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति -

जहां नियम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताओं और न्यूनतम अर्हक सेवा से संबंधित इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. व्यावृत्ति:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, मूलपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान | क्य चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी | परीक्षा अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति | ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना |
|-----------------|---|---------------------|--|---|--|---|-------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 सहायक अभियंता | *1973 [2001] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | 6500-200-10500-रूपए | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 1) 25 प्रतिशत वरीयता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा 2) 75 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा | <u>प्रोन्नति:</u> वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायकों में से: [क] जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है, ऐसा न होने की स्थिति में जिन्होंने वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक और अभियांत्रिकी सहायक के ग्रेड में संयुक्त रूप से आठ वर्ष की सेवा कर ली है, [ख] जो प्रसार भारती में अभियांत्रिकी सहायक के पद पर सीधी भर्ती के निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हैं । | 1. प्रमुख अभियंता [आकाशवाणी]-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता [आकाशवाणी] कार्मिक मामलों के प्रभारी- सदस्य 3. मुख्य अभियंता [दूरदर्शन] कार्मिक मामलों के प्रभारी- सदस्य 4. निदेशक, कार्मिक [दूरदर्शन/ आकाशवाणी]-सदस्य |

26



| पद का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान | क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी | परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति | ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना |
|------------------------------|--|-------------------------|---|---|--|---|---------------------------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक | *2261 [2001] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | 5500-175-9000/- रूपए | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति | प्रोन्नति: क्षेत्र में कार्यरत अभियांत्रिकी सहायक जिन्होंने ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो। | 1. मुख्य अभियंता [विकास] आकाशवाणी- सदस्य 2. मुख्य अभियंता [संबंधित क्षेत्र]- सदस्य 3. निदेशक [अभियांत्रिकी] प्रशासन, आकाशवाणी- सदस्य |

(24)

PRASAR BHARATI
(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2002

No. N-10/5/2002-PPC.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement:** (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Subordinate Engineering Posts) Recruitment Regulations, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application:** These regulations shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
3. **Initial Constitution:**
 - (1) All persons appointed as Assistant Engineer and Senior Engineering assistant and holding these posts on regular basis and who had opted for transfer of their services to the Corporation, shall be deemed to have been appointed from the date of commencement of these regulations to the corresponding posts, grades and the cadres in the service.
 - (2) The regular continuous service of a person referred to in sub-regulation (1), shall be counted for the purpose of promotion, confirmation and pension in the service.

23

4. **Number of posts and scales of pay:** The number of the said posts and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 and 3 of the said Schedule.
5. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.:** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.
6. **Disqualification:** No person-
 - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule with prior approval of the Central Government.

7. **Power to relax:** Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, with prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations relating to age limit, educational and other qualifications and minimum qualifying service with respect to any class or category of persons or posts.
8. **Savings:** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the scheduled Tribes, Other backwards Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Scale of pay | Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority | Age limit for direct recruits | Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment | Grade from which promotion/deputation / absorption to be made. | If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition |
|-----------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. Assistant Engineer | *1973 (2001) *subject to variation dependent on workload. | Rs. 6500-200-10500/- | Selection. | Not Applicable. | Not Applicable. | Not Applicable. | Not Applicable. | (i) 25% by promotion through seniority-cum-merit; and (ii) 75% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination. | Promotion: From amongst Senior Engineering Assistants with (a) three years regular service in the grade failing which Senior Engineering Assistants with eight years' combined regular service in the grade of Senior Engineering Assistant and Engineering Assistant ; and (b) possessing educational qualification prescribed for direct recruitment to the post of Engineering Assistant in Prasar Bharati. | 1. Engineer-in-Chief (Akashvani) - Chairman. 2. Chief Engineer (Akashvani) in charge of personnel matters - Member. 3. Chief Engineer (Akashvani) in charge of personnel matters - Member. 4. Director (Personnel) Doordarshan/ Akashvani - Member. |

[Part III - Page 4]

[Part III - Page 4]